भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 157

उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं का नामांकन

***157. श्रीमती वसन्ती स्टान्ली:**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के किसी भाग की पहचान शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में की गई है;

(ख) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन कराने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं का प्रतिशत अत्यन्त कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं के नामांकन में वृध्दि करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री कपिल सिब्बल)

(क) से (ग): एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

"कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं के नामांकन" के बारे में माननीय संसद सदस्य श्रीमती वसन्ती स्टान्ली द्वारा 23 मार्च 2012 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 157 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): तमिलनाडु में 44 ब्लॉक शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के रूप में पहचाने गए हैं।

(ख) और (ग): कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय स्कूलों की स्थापना का प्रावधान करता है। योजना के लक्ष्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम 75 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं, और शेष 25 प्रतिशत सीटों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है। आज तक देश भर में 3600 केजीवीबी संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें 3439 संचलनात्मक हैं तथा 3,35,227 बालिकाओं का नामांकन किया गया है। नामांकित बालिकाओं में से 92 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं और 8 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से हैं, जिसमें 32 प्रतिशत अनुसूचित जाति श्रेणी से, 23 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति श्रेणी से, 29 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से, 8 प्रतिशत अल्प संख्यक समुदाय श्रेणी से और 8 प्रतिशत बीपीएल श्रेणी से हैं।